



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

क्रमांक:-एफ20(6)(402)निमअ/ऑडिट बैठक/2018-19/

जयपुर, दिनांक:-

सहायक निदेशक,  
महिला अधिकारिता,  
बारां, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़,  
पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, सीकर,  
राजसमंद, भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर, एवं धौलपुर।

**विषय :- महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु आयोजित कैम्प में अनुपालना भेजने के संबंध में।**

**प्रसंग :- निदेशालय पत्र क्रमांक 1772 दिनांक 16.01.2019**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों के निस्तारण बाबत निदेशालय में कैम्प आयोजित किया गया था। जिसमें आपके कार्यालय के बकाया आक्षेपों की ठोस एवं नवीनतम अनुपालना अपेक्षित थी, निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी आपके द्वारा नियत तिथि पर अनुपालना प्रस्तुत नहीं की गई, इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि राजकीय कार्य में आपके द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त के क्रम में तीन दिवस में नवीनतम अनुपालना के साथ अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत करें एवं भविष्य में राजकीय कार्य में लापरवाही ना बरतें।

(पी.सी. पवन)  
निदेशक

महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर  
जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक:-एफ20(6)(402)निमअ/ऑडिट बैठक/2018-19/ 4319

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

✓ 1. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

11-2-19  
वित्तीय सलाहकार